सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

मोतीराम बनाम मीनादेवी आदि

पत्रावली 197/2025

28/10/25	पत्रावली पेश हुई। वादी की ओर से एडवो. शंकर लाल सेवड़ा उपस्थित। वाद पत्र पेश किया। रिपोर्ट सापेक्ष लिखित ली जाई। वाद पत्र अर्थ स्वीकार है। प्रतिवादीगण को पंजीकृत रजिस्टर्ड एडी मार्फत सम्मन किया जावे। पत्रावली दिनांक 28/11/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर (मु.) सीकर	
28/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने प्रतिवादी के फौरन निकेतन किराएदार को अलग करना न होना चाहते। कोई प्रेम में जादिक मामला पति। वकील वादी के आदेश पीठ पर हस्ताक्षर कराये गये। अतः वकील वादी के अनुरोध पर वादी वादी ने प्रेम में जादिक किया जाता है। पत्रावली नियम अनुसार धोकरवाद कार्यवाही आदि के अधीन है। निर्णय अग्रिम 28/11/25 को पूर्वाह्न में सुनाया जाता। सहायक कलक्टर (मु.) सीकर	Not appear उपस्थित राज्य PSO